राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com

Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांकः एफ 1( )पीएस/आकाशि/2023–06512 दिनांकः–

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर की अनुशंषा पर प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा–2022 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में एतद्द्वारा पदस्थापित किया जाता है :–

(विज्ञान–गैर अनुसूचित क्षेत्र)

क्र.स.	मैरिट क्रमांक	नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्म तिथि	श्रेणी	फोटो	आवंटित राजकीय महाविद्यालय
1.	5713	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री रतना राम, पता–मालियों की ढाणी, पचपदरा, बाड़मेर। पिन–344032	22-10-1996	OBC (Soprts Person)		कन्या बालोतरा

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेंगी :–

1. उक्त अभ्यर्थी को 02 वर्ष तक परिवीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार मासिक नियत पारिश्रमिक रूपये 18500/– देय होगा।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वर्णित तालिका में अपने नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण कर लेवें। अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित करें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा।
3. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ–12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ–6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ–16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–14(1) एफडी/ रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी।
5. राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।
6. कार्यग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क–2/23 जयपुर दिनांक 11.05.2023 के अनुसार इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे :–

   "मैं .... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्त्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से पालना करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करें)।"

RajKaj Ref
9700690

Signature valid

Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.12 15:01:14 IST
Reason: Approved

7. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ–11/एसटी/एससी/ओबीसी एसबीसी/जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
8. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
10. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
11. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा।
12. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रयोगशाला सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या L–8 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
13. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
14. अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा–2022 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–15(1)डीओपी/ए–11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांकः एफ 1( )पीएस/आकाशि/2023–06512 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2– अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ14(102)(1)RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/2224 दिनांक 27.02.2024 के क्रम में।
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4– वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5– वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6– निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7– सम्बन्धित प्राचार्य–कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई–मेल आई.डी jdadmn.cce@gmail.com या ई–डाक द्वारा आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
8– सम्बन्धित अभ्यर्थी कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राचार्य को प्रस्तुत करें।
9– स्थापना शाखा/कैश शाखा/गोपनीय शाखा, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10– वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
11– रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

RajKaj Ref
9700690

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.08.12 10:01:14 IST
Reason: Approved